

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 43/2024-25
नई दिल्ली, दिनांक: 24 दिसम्बर, 2024

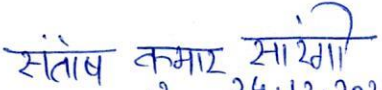
विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाने के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023 और दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड एवं मद विवरण	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07131010 -- पीली मटर	क) आयात खेप के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्तें लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।	क) आयात खेप के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 28 फरवरी, 2025 को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 28 फरवरी, 2025 के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्तें लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 28 फरवरी, 2025 या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।

अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **28 फरवरी, 2025** को या इससे पहले जारी किया गया है के लिए तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अधीन "मुक्त" है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल : dgft@nic.in